महत्वपूर्ण एवं खास

घर से नकदी सहित लाखों रुपए के जेवर पार

रायपुर (आरएनएस)। कचना के हमीन कोटरी स्थित मकान से अज्ञात चोर ने नकदी 35 हजार सहित लाखों रुपए के जेवर पार कर दिए। प्रार्थी की शिकायत पर खम्हारडीह पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया अभिलाषा शुक्ला हमीन कोटरी की रहने वाली है। बताया जाता है कि प्रार्थिया रात में अपने घर में सो रही थी तभी अज्ञात चोर घर में प्रवेश कर आलमारी में रखे नकदी 35 हजार सहित सोने-चांदी के जेवर पार कर दिए। चोरी गए जेवर की कीमत करीब 2 लाख 94 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थिया की शिकायत पर खम्हारडीह पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

मामूली बात पर युवक को मारा चाकू

रायपुर (आरएनएस)। बम्लई चौक मठपुरैना में मामूली बात पर दो युवकों ने एक युवक से गाली-गलौज कर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीएसयूपी कालोनी मठपुरैना निवासी मोहम्मद जफर पेशे से ऑटो चालक है। बताया जाता है कि वह अपनी ऑटो से जा रहा था। तभी ई-रिक्शा क्रमांक सीजी 04 एनएस 3230 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए प्रार्थी के ऑटो को टक्कर मार दिया। जिससे प्रार्थी ने ठीक से वाहन चलाने को कहा तो आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर प्रार्थी से गाली-गलौज कर प्रार्थी से मारपीट किया और चाकू से हमला कर घायल कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 279, 294, 506, 323, 324, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

घर के बाहर खड़ी स्कूटर पार

रायपुर (आरएनएस)। मोवा स्थित अशोका इम्प्रेशन के ब्लॉक ए के पास खड़ी स्कूटर को अज्ञात चोर ने पार कर दी। प्रार्थी की शिकायत पर मोवा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुब्रत कुमार पंडा 42 वर्ष ब्लॉक ए अशोका इम्प्रेशन का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी अपने घर के बाहर अपनी एविटर क्रमांक सीजी 04 एलवी 0936 को खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया।

बिजली कर्मचारी से मारपीट

रायपुर (आरएनएस)। लाइन काटने पहुंचे बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट कर वाहन में तोडफ़ोड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर सेजबहार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी संतराम धीवर 45 वर्ष बिजली विभाग में काम करता है। बताया जाता है कि प्रार्थी अपने वाहन क्रमांक सीजी 04 एमपी 7611 से अवैध रूप से कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर काटने पहुंचा था। तभी आरोपी ईश्वर गायकवाड़ व थानेश्वर से प्रार्थी को रोककर गाली-गलौज कर मारपीट किया और वाहन का शीशा तोड़ दिया। प्रार्थी की शिकायत पर सेजबहार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से अधेड़ महिला की मौत

रायपुर (आरएनएस)। रेलवे स्टेशन चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से अधेड़ महिला की मौत हो गई। सूचना पर आरंग पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले को जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका रामकली यादव 60 वर्ष आरंग की रहने वाली थी। बताया जाता है कि वह पैदल कहीं जा रही थी तभी रेलवे स्टेशन चौक आरंग के पास अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर पतासाजी कर रही है।

16 लाख रूपए के वायर बंडल की अफरा-तफरी मामले में ट्रक चालक समेत माल खपाने वाले प्लांट संचालक और कबाड़ी गिरफ्तार

❐ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूंजीपथरा पुलिस ने महासमुंद और रायपुर में दी दबिश

❐ अमानत में खयानत और साक्ष्य विलोपित करने के अपराध में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। एसपी रायगढ़ अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले के मार्गदर्शन पर पूंजीपथरा टीआई कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 30 टन वायर बंडल की अफरा-तफरी करने वाले तीन आरोपी - ट्रक चालक तथा मटेरियल की खरीदी कर प्लांट में बेचने वाले कबाडी एवं प्लांट के संचालक को महासमुंद के बसना, रायपुर के मौदहापारा और रावाभाठा क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक थाना पूंजीपथरा अंतर्गत महराज रोड कैरियर्स तराईमाल में मैनेजर का काम करने वाला शरवेश दुबे 06 जनवरी 2022 को थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के मार्फत दिनांक 28.12.2021 को ट्रक क्रमांक CG 06 GH 4550 का चालक झनक नायक के द्वारा सिंघल इन्टर प्राईजेस प्रा0 लि0 तराईमाल से वायर बंडल लोड कर तारणी स्टील प्लांट रायपुर खाली करने रवाना किया गया था जो गन्तव्य स्थान में न पहुंचाकर रास्ते में ट्रक में लोड माल को अफरा तफरी कर गबन कर दिया है। घटना के संबंध में लिखित आवेदन पर आरोपी ट्रक क्रमांक CG 06 GH 4550 का चालक झनक नायक के विरूद्ध अप.क्र. 03/2022 धारा 407 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना क्रम में पूंजीपथरा पुलिस को घटना में प्रयुक्त खाली ट्रक गजराज बॉडी गैरेज तुलसी थाना मंदिर हसौद में खड़ा होने की जानकारी मिली जिस पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा गजराज बॉडी गैरेज तुलसी जाकर पतासाजी किया गया। गजराज बॉडी गैरेज ट्रक क्रमांक CG 06 GH 4550 खाली मिला जिस में चाबी लगा हुआ था जिसे पुलिस टीम द्वारा गवाहों के समक्ष वाहन की जब्ती कर बाड़ी गैरेज के संचालक प्रताप निषाद से पूछताछ किया गया। गैरेज संचालक बताया कि ट्रक का मालिक शिव कुमार नायक द्वारा 2 जनवरी 2022 को फोन कर गाड़ी का चादर का काम कराना है कहकर मोटर गैरेज में गाड़ी खड़ी किया है। वाहन स्वामी शिव नायक का पतासाजी कर 13 फरवरी 2022 को वाहन का मूल कागजात वाहन स्वमी से जप्त कर फरार ट्रक के चालक झनक नायक के संबंध में जानकारी लेकर मुखबिर की सूचना पर आरोपी ट्रक चालक को उसके गांव से हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।

आरोपी ट्रक चालक झनक नायक बताया कि पूंजीपथरा तराईमाल से ट्रक क्रमांक CG 06 GH 4550 में वायर बंडल (M.S. Round In coils 5.5mm) लोड कर निकला था और लोड मटेरियल को खपाने के लिये मोबाइल पर कबाड़ी सलाउद्दीन से संपर्क किया। कबाड़ी सलाउद्दीन द्वारा रंगा इंडस्ट्री किल प्लांट के संचालक टी.एन.व्ही. रामकुमार के साथ उक्त माल का 12 लाख रूपये में सौदा किया। कबाडी के कहने पर रास्ते में माल को खाली कर तीनों मिलकर माल को गबन कर दिये और पकड़े जाने के भय से आरोपी ड्राइवर झनक नायक और कबाड़ी सलाउद्दीन मोबाइल तोड़ कर फेंक दिए जिस पर प्रकरण में साक्ष्य विलोपित करने की धारा 201, 34 भादवि जोड़ा गया और प्रकरण के आरोपी रंगा इंडस्ट्री किल प्लांट के संचालक टी.एन.व्ही. रामकुमार को रावाभाठा में दबिश देकर पकड़ा गया है, आरोपी टी.एन.व्ही. रामकुमार से नोकिया मोबाइल की जप्ती की गई है। ट्रक ड्रायवर और कबाडी द्वारा फरार रहने दौरान मटेरियल को बेचने में प्राप्त रूपये खर्च होना बताये तथा किल प्लांट के संचालक द्वारा प्लांट में मटेरियल को खपाना बताया। तीनों आरोपियों को दिनांक 23/08/2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक के.के. सिंह, सहायक उप निरीक्षक आशिक रात्रे, आरक्षक चंद्रशेखर चंद्राकर, नरेश रजक और विद्या सिदार की अहम भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी-

(1) झनक नायक पिता स्वर्गीय राम सिंह नायक उम्र 33 वर्ष निवासी नायक पारा वार्ड क्रमांक 3 बसना थाना बसना जिला महासमुंद

(2) सलाउद्दीन पिता नसीरुद्दीन उम्र 32 साल निवासी कम्हरिया थाना मौदहा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश हाल मुकाम वार्ड क्रमांक 36 मौदहापारा रायपुर

(3) टी.एन.व्ही. रामकुमार पिता वी. नागेश्वर राव उम्र 38 साल निवासी सी/ओ वेस्ट गोदावरी उत्तर प्रदेश हाल मुकाम मेटल पार्क रावाभाठा रायपुर

घर घुंसकर महिला से मारपीट व छेड़खानी करने वाले को छाल पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

❐ थाने में रिपोर्ट दर्ज होने पर फरार हो गया था आरोपी

रायगढ़। दिनांक 21.07.2022 को थाना छाल में महिला द्वारा उसके पडोसी अशोक बसोड (32 वर्ष) पर घर घुसकर गाली गलौच, मारपीट का आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। महिला के आवेदन पर थाना छाल में धारा 294, 323, 451 IPC के तहत अपराध दर्ज किया गया। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार हो गया।

अपराध विवेचना दौरान पीड़ित महिला का बयान लिया गया, महिला बताई कि दिनांक 20.07.2022 को घर के लोग समीप के जंगल गये हुये थे। दोपहर करीब 1.00 बजे पडोसी अशोक बसोड घर के सामने गंदी गंदी गालियां दे रहा था जिसे मना करने पर घर के आंगन और मकान अंदर आकर गाली गलौच झगडा कर गाल में थप्पड़ मारा और अश्लील हरकत करते हुए हाथों को मरोड दिया। पीड़िता के कथन पर प्रकरण में धारा 354, 452 IPC जोड़ते हुए थाना प्रभारी छाल निरीक्षक जितेन्द्र एसैया द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिये मुखबिर लगाया गया। आज मुखबिर सूचना पर आरोपी अशोक बसोड को गिरफ्तार कर JMFC धरमजयगढ़ के न्यायालय में पेश किया गया।

महिला से मारपीट व अभद्रता करने वाले आरोपी को खरसिया पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 23.08.2022 को थाना खरसिया में ग्राम छोटे देवगांव अनुसूईया केशरवानी (45 वर्ष) तथा अजय कुमार पटेल (37 वर्ष) एक दूसरे के विरूद्ध गाली गलौच मारपीट के संबंध में आवेदन दिया गया। मामले में दोनों पक्ष के रिपोर्ट पर थाना खरसिया में काउंटर अपराध दर्ज किया गया है।

घटना के संबंध में रिपोर्टकर्ता अनसुईया केशरवानी बताई कि दिनांक 22.08.2022 के रात करीब 09/00 बजे अपनी मां के घर के सामने खडी होकर बातें कर रही थी। उसी समय पडोसी अजय पटेल और उसका छोटा भाई 2 लाख रूपये की मांग कर गंदी-गंदी गाली गुप्तार करते हुए एक राय होकर हाथ मुक्का से मारपीट किये। महिला के रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 294, 506, 323, 327, 34 IPC अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। वहीं अजय कुमार पटेल के रिपोर्ट पर महिला अनुसूईया गुप्ता एवं एक अन्य के विरूद्ध धारा 294, 323, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये आज दिनांक 24.08.2022 को थाना प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम हमराह स्टाफ के साथ आरोपियों के सकुनत पर दबिश देकर आरोपी अजय कुमार पटेल को हिरासत में लेकर थाना लाया गया, मामला अजमानतीय होने पर आरोपी अजय कुमार पटेल पिता स्व. बुंदराम पटेल उम्र 37 वर्ष निवासी छोटे देवगांव थाना खरसिया को गिरफ्तार कर JMFC खरसिया के न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

महिला समिति के सदस्यों के नाम पर बैंक से लोन की रुपए उठाने वाली महिला ठग गिरफ्तार

❐ महिलाओं से ठगी करने वाली आरोपिया और आरोपी अमरनाथ कर्ष को पिछले तीन साल से तलाश रही थी कोतवाली पुलिस

❐ 5 लाख रूपयों की ठगी की मिल रही जानकारी, बैंक कर्मचारियों के भी संलिप्तता की होगी जांच

रायगढ़। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2022 को कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा थाना पुसौर अंतर्गम ग्राम कसाईपाली छपोरा में दबिश देकर महिला ठग पालावती चौहान को हिरासत में लिया गया, आरोपिया पिछले तीन साल से फरार थी। आरोपिया पालावती चौहान और अमरनाथ कर्ष द्वारा वर्ष 2018 में ग्राम कसाईपाली में महिलाओं की समिति बनाकर कई महिलाओं के भरे हुये फार्म से लोन निकलवाकर स्वयं उपभोग कर लिये थे। अपराध की कायमी के बाद से दोनों फरार होकर अग्रिम जमानत कराने के जुगत में थे। आरोपिया के गांव में देखे जाने की मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा आरोपिया के घर दबिश देने स्टाफ भेजा गया था।

धोखाधड़ी के संबंध में अक्टूबर 2018 में शिकायतकर्ता/आवेदिकागण तुलसी, नीला बाई, हरिप्रिया सिदार, भारती मांझी, सावित्री सिदार, मरमदा सिदार, सुजाता मांझी सभी निवासी कसाईपाली छपोरा जिला रायगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के नाम पर आवेदन पुलिस कार्यालय में दिया गया। उक्त आवेदन जांच के लिये थाना प्रभारी कोतवाली को प्राप्त हुआ। शिकायत जांच में महिला समिति के सदस्यों से पूछताछ पर जानकारी मिला कि गांव की पालावती चौहान पति इन्द्रजीत चौहान कसाईपाली द्वारा एच0डी0एफ0सी0 बैंक रायगढ शाखा से मिली भगत कर प्रत्येक के नाम से 25-25 हजार रूपये बैक लोन फर्जी तरीके से छल कपट तथा धोखधडी करते हुए आहरित किया गया है। लोन किश्तों की रकम अदायगी नही होने से कारण बैंक द्वारा नोटिस मिलने पर यह तथ्य उजागर हुआ। शिकायत जांच पर आरोपिया पालावती चौहान तथा अमरनाथ कर्ष के द्वारा महिलाओं से धोखाधड़ी करना पाये जाने पर अप.क्र. 1505/2018 धारा 420,467,468,471,34 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायमी के बाद से दोनों आरोपी फरार थे।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना द्वारा धोखाधड़ी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी एवं अपराध के निकाल के संबंध में प्रभारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया है जिसके पालन में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा धोखाधड़ी के फरार आरोपियों की पतासाजी के लिये मुखबिर लगाया गया और सूचना पर दबिश देकर आरोपिया का हिरासत में लिया गया।

आरोपिया पालावती चौहान पति इन्द्रजीत चौहान उम्र 45 साल ग्राम कसाईपाली पोस्ट छपोरा थाना पुसौर बताई कि अमरनाथ कर्ष उसके गांव आकर महिला समिति के सदस्यों को बैंक से कम ब्याज में लोन मिलने की जानकारी दिया और लोन निकल दिया। उसके बाद अमरनाथ गांव की महिला समिति बनाने के लिये कहने पर गांव की महिलाओं के साथ मिलकर रानी HBG समूह बनाई। महिलाओं को लोन के लिये फार्म भरवाये और उनके दस्तख्त लेकर फर्म अमरनाथ कर्ष रख लिया और। प्रत्येक महिला के नाम पर 20, 25 हजार रूपये का लोन निकाल कर रख लिया। अमरनाथ कर्ष के कहने पर ग्राम कारीछापर और बलभद्रपुर में भी महिला समिति बनाये जहां की भी महिलाओं के नाम पर लोन निकाला है। महिलाओं के नाम से अमरनाथ कर्ष द्वारा करीब 5 लाख रूपये के लोन निकलने की जानकारी होना आरोपिया बताई है। आरोपिया का गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अमरनाथ कर्ष की पतासाजी की जा रही है। आरोपिया की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी मनीष नागर, उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया, प्रधान आरक्षक विक्रम चौरसिया, समुंद रनकर और आरक्षक रूप साहू की अहम भूमिका रही है।

मंडल रेल प्रबंधक ने टिकट चेकिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को पुरस्कृत किया

रायपुर (आरएनएस)। आज दिनांक 23 अगस्त 2022 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता द्वारा रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग में कार्यरत टिकट चेकिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली दो महिला टिकट चेकिंग स्टाफ राज बासवे टिकट परीक्षक ने टिकट चेकिंग के दौरान 1 दिन में लगभग 225 केस से 116120 का राजस्व प्राप्त किया वही प्रिंसी जे चेरियन उप मुख्य टिकट निरीक्षक ने 1 दिन में 222 केस 109400 का राजस्व प्राप्त किया। रंजीत चौधरी वरिष्ठ टिकट परीक्षक ने गाड़ी संख्या 18207 में दिनांक 28 जून 2022 को अपनी ड्यूटी के दौरान दो लड़कियों को मानव तस्करी होने से बचा कर अपने कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण दिया इस उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए उन्हें मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ विपिन वैष्णव एवं वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक पुलकित सिंघल सहित संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

यात्रियों की सुविधा के लिये ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था

रायपुर (आरएनएस)। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गाडिय़ों में अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है 7 इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे 7 साथ ही सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए भी जनरल कोच लगाए जा रहे हैं विवरण इस प्रकार है।

गाड़ी संख्या 22647/ 22648 कोरबा -कोचुवेली गाड़ी में दिनांक 27 , 31 अगस्त 2022 को एवं 3 सितंबर 2022 को 01 अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जा रहा है। गाड़ी संख्या 08527 /08528 रायपुर-विशाखापट्टनम स्पेशल गाड़ी में 02 सामान्य श्रेणी के कोच दिनांक 25 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक लगाए जा रहे हैं। गाड़ी संख्या 18529/ 18530 दुर्ग विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में 02 स्लीपर कोच दुर्ग से दिनांक 25 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक लगाए जा रहे हैं। गाड़ी संख्या 18425 पुरी -दुर्ग एक्सप्रेस में 01 सामान्य श्रेणी का कोच दिनांक 24 अगस्त से 3 सितंबर 2022 तक लगाया जा रहा है गाड़ी संख्या 18426 दुर्ग पुरी एक्सप्रेस में 01 सामान्य श्रेणी का कोच दिनांक 25 अगस्त से 10 सितंबर 2022 तक लगाया जा रहा है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डटी है स्वास्थ्य विभाग की टीम

❐ मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकताओं ने घर-घर बांटे क्लोरिन की टेबलेट

❐ किसी भी आपात स्थिति में तुरंत डॉक्टर से करें संपर्क: सीएमएचओ डॉ.केशरी

रायगढ़। जिले में बीते कुछ दिनों में हुई बारिश के कारण कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालांकि अब बाढ़ का पानी गांवों से उतर चुका है। प्रभावितों को सारंगढ़-पुसौर-सरिया के 7 राहत शिविर में रखा गया था। पुसौर में फिलहाल 4 मरीज ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में हैं, पर बाढ़ के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्यगत समस्याओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही हैं।

कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी ने संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारियों, डॉक्टर्स समेत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बाढ़ के बाद बीमारियों को लेकर बचाव के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ ने बताया कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद डायरिया, डेंगू और टायफाइड जैसी बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए यह बीमारियां गंभीर रूप न लें, इसके लिए जरूरी दवाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया जा चुका है। चूना और ब्लीचिंग छिड़काव हो रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि आज सुबह पुसौर विकासखंड में 55 वर्षीय व्यक्ति को उल्टी, दस्त की समस्या हुई जिस पर उसके परिजनों ने वहीं के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया। फिर उन्हें रायगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने ले जाया जा रहा था कि उसी दौरान उनकी मौत हो गई।

पुसौर के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने बताया उक्त व्यक्ति के मौत की जाँच की जा रही है। क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों के सहयोग से सभी घरों में क्लोरिन के टेबलेट बांट दिये गये हैं। लोगों को साफ पानी पीने की सख्त हिदायद दी गई है जिससे वे डायरिया और उल्टी से बच सके। जिन्हें उल्टी, दस्त की समस्या हैं वह ओआरएस घोल का सेवन करें और जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। हमारी टीम दिनरात लगी हुई है।

बीमारियों से कैसे करें बचाव- पुसौर के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी कहते हैं बाढ़ के दौरान गंदे पानी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिस कारण लोगों को कई प्रकार के त्वचा रोग भी हो जाते हैं। बाढ़ के बाद लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। शुद्ध पानी से कई बीमारियों से निजात मिल सकता है। लोगों को पानी उबालकर पीना चाहिए। साथ ही शरीर में आवश्यक खनिज आपूर्ति के लिए नारियल पानी या स्वच्छ पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। बाढ़ के कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भर होते हैं, इसलिए जीवाणु संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए पानी में क्लोरीन भी मिला सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480